# विभाग द्वारा व्यवसायिक परिसरों, भवनों को किराये व लीज पर देने हेतु समय–समय पर जारी किए गए मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश

## पंचायतों के व्यवसायिक परिसरों, भवनों को किराये व लीज पर देने बारे

पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर अर्थात ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् द्वारा अपने व्यवसायिक परिसर व भवनों का निर्माण किया गया है तथा ये संस्थाएं अपनी आय के संसाधनों को बढ़ाने हेतु समय–समय पर नए व्यवसायिक परिसर एवं भवनों का निर्माण भी कर रही है जो एक निरन्तर प्रक्रिया है। पूर्व में पंचायतों द्वारा अपने परिसरों व भवनों को किराये व लीज पर देने बारे अपने स्तर पर ही निर्णय लिया जाता था तथा विभाग के किसी प्रकार के दिशा–निर्देश न होने के कारण कई बार वैधानिक तथा अन्य कठिनाइयां भी सामने आई तथा जिन्हें दूर करने के लिए विभाग ने समय–समय पर ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों द्वारा निर्मित व्यवसायिक परिसरों व भवनों को एक पारदर्शी व प्रभावी रूप से किराये व लीज पर देने बारे दिशा–निर्देश तैयार किए गए जिसके अन्तर्गत यह संस्थाएं अपने किरायेदारों के साथ अनुबंध करेंगी तथा उनकी दरें इत्यादि भी निर्धारित करेंगी तथा इन संस्थाओं को किराये व लीज पर देने हेतु एक समिति का गठन भी किया गया है जो इन संस्थाओं की सेवा व शर्तों अनुसार इन संस्थाओं द्वारा किराये पर दी गई सम्पति का समय–समय पर अनुश्रवण भी करेगी ताकि दोषी किरायेदार जो समय पर किराया न देता हो या किराया देने में आनाकानी करता हो उसे उससे किराये पर दिए गए परिसर को खाली करवाने इत्यादि के बारे में भी उचित कदम उठाएगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग

संख्याःपीसीएची–एचसी(7)10/80 दिनांक 17 सितम्बर, 2008

## कार्यालय आदेश

ग्राम पंचायतों के व्यवसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने के लिए निम्न कमेटी गठित की जाती है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की वैधानिक कठिनाई न हो :––

1. उपमण्डलाधिकारी/तहसीलदार (अध्यक्ष)
2. खण्ड विकास अधिकारी (सदस्य)
3. प्रधान सम्बन्धित ग्राम पंचायत (सदस्य)
4. पंचायत निरीक्षक (सदस्य)
5. पंचायत सचिव/पंचायत सहायक (सदस्य–सचिव)

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सम्बन्धित किरायेदार के साथ अनुबन्ध करेगी जिसमें ग्राम पंचायत निम्न शर्तें भी निर्धारित करेगी :–

1. सम्बन्धित व्यवसायिक परिसरों/भवनों का किराया लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों से कम न हो।
2. किराये में वृद्वि का प्रावधान किराया नियन्त्रण अधिनियम के अनुरूप रखा जाए।
3. यदि कोई किराएदार किराया नहीं देता अथवा परिसर को नुकसान पहुंचाता है तो परिसर को 30 दिनों की अवधि के अन्दर खाली करने का प्रावधान रखा जाए।
4. किरायेदार को परिसर को किसी अन्य को आगे किसी और व्यक्ति को किराये पर दने का अधिकार न हो और न ही उसे उसके उपयोग को परिवर्तित करेगा।
5. किरायेदार परिसर में किसी प्रकार निर्माण/परिवर्तन/अतिक्रमण नहीं करेगा।
6. सम्बन्धित व्यवसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने से पूर्व पंचायत क्षेत्र में व्यापक प्रचार किया जाये तथा व्यवसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर खुली बोली से दिया जाएगा।
7. व्यवसायिक परिसरों/भवनों के पानी/बिजली के बिलों की अदायगी किरायेदार द्वारा की जाएगी।

**आदेश द्वारा**
**हस्ताक्षरित/–**
**निदेशक एवं विशेष सचिव,**
**पंचायती राज विभाग,**
**दिनांक 17.9.2008**
**हिमाचल प्रदेश, शिमला;9.**

**पृ0सं0 उपरोक्त 30301–30436**

**प्रतिलिपिः**

1. समस्त उपमण्डलाधिकारी, हिमाचल प्रदेश को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. समस्त जिला पंचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय सहित कि इस आदेश की प्रति समस्त ग्राम पंचायतों को प्रेषित की जाए।
4. प्रधान, ग्राम पंचायत रण्टाडी (सीमा), विकास खण्ड रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0 को उनके प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 23.7.08 के सन्दर्भ में आवश्यक कार्रवाई हेतु।

**हस्ताक्षरित/–**
**उप निदेशक**
**पंचायती राज विभाग,**
**हिमाचल प्रदेश, शिमला–9.**

**Government of Himachal Pradesh**
**Panchayati Raj Department**

**No. PCH-HC(7)1/2008** **Shimla-9 Dated the 12 March, 2018**

**Office Order**

In order to provide the Commercial Complex, Building and property on rent/lease basis in respect of the Panchayat Samiti and regulating the terms and conditions to this effect, a committee consisting the following members under the Chairmanship of Sub-Divisional Officer (Civil) is hereby constituted :—

1. Chairman Panchayat Samiti (Member)
2. Chief Executive Officer Panchayat Samiti (Member)
3. Panchayat Inspector/Sub-Inspector (Member-Secretary)

(In case no Panchayat Inspector/Sub-Inspector is there then Chief Executive Officer may appoint any member of his staff as Member-Secretary of the Committee.)

4. The Committee may with the approval of Chairperson co-opt any member as per requirement.

The terms and conditions to rent/lease out the Commercial complex, building and property of Panchayat Samiti shall be as under :—

1. The minimum rate of the property so to be rented/leased out should not be less than the prescribed rate of the H.P. Public Works Department or market rates whichever is higher.
2. The enhancement in the rate shall be as per the rent Controll Act.
3. In case the person to whom the property has been rented/leased out cause any damage to the property, the property rented/leased out to him shall be got vacated within 30 days and the recovery of the damage will also be effected.
4. The tenant /lessee shall have no right to divert the use of property and he shall have no right to sublet the property premises.
5. The property should be rented/leased out by way of auction/bid by making wide publicity.
6. The payment of the electricity/water bills will be made by the person to whom property has been rented/leased out.
7. The rent shall be paid on or before 10th of every month failing which the premises shall be vacated.
8. The rented property shall be vacated on the notice of 15 days as and when such property is required by the Department as well as Panchayat Samiti for its use.
9. Two months' rent shall be deposited in advance as security (Refundable/Adjustable) at the time of handing over the premises to the Panchayat Samiti.
10. The organization /person to whom the property is rented, shall ensure the cleanliness of the premises.

**By order,**
**Sd/-**
**Secretary (Panchayat)**
**Himachal Pradesh Government.**

**End. No.11500-11668** **Dated 14 March, 2018**

**Copy for: Information and necessary action.**

1. All Sub-Divisional Officers Himachal Pradesh.
2. All Chairpersons of Panchayat Samitis of Himachal Pradesh.
3. All Chief Executive Officers Panchayat Samiti Himachal Pradesh.
4. All District Panchayat Officers Himachal Pradesh.

**Sd/-**
**Deputy Secretary (Panchayat)**
**Himachal Pradesh Government.**

**हिमाचल प्रदेश सरकार**
**पंचायती राज विभाग**

**सं0पीसीएच–एचसी(7) 1/2008** **दिनांक 13 मार्च, 2015**

## कार्यालय आदेश

जिला परिषद् के व्यवसायिक परिसरों/भवनों/परिसम्पतियों तथा जिला स्तरीय पंचायत भवनों को नीलामी से किराये पर देने के लिए सम्बन्धित जिलाधीश की अध्यक्षता में निम्न अधिकारियों की कमेटी गठित की जाती है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण/ग्रामीण विकास, (जिला मुख्यालय) | सदस्य |
| 2. | स्थानीय उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) | सदस्य |
| 3. | जिला पंचायत अधिकारी | सदस्य–सचिव |

**हस्ताक्षरित/–**
**प्रधान सचिव (पंचायत)**
**हिमाचल प्रदेश सरकार**
**दिनांक 13 मार्च, 2015**

**पृ0सं0–उपरोक्त–40856–938**
**प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1. समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद्, हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपमण्डलाधिकारी, (नागरिक), हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त जिला पंचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
5. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण/ग्रामीण विकास (जिला मुख्यालय) हिमाचल प्रदेश।

**हस्ताक्षरित/–**
**उप–सचिव (पंचायत),**
**हिमाचल प्रदेश सरकार।**

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला–32 पंचायत/2018–17–4–2018–5,000 पुस्तकें।